फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 02/01/2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/2026 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजेश पुत्र नंदराम निवासी ग्राम महमदगंज थाना कमालंगज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

01. राजेश पुत्र नंदराम निवासी ग्राम महमदगंज थाना कमालंगज जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः थाना कमालगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महमदगंज थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ मे एक युवक राजेश उपरोक्त तमंचा लहराते हुए घूम रहा है। प्राप्त सूचना पर डायल 112 व थाना कमालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश पुत्र नंदराम निवासी ग्राम महमदगंज थाना कमालंगज जनपद फतेहगढ को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 03/2026 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजेश उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। ।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त राजेश उपरोक्त ने जुर्म से माफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0न्यायालय मे देना बताया ।

अभियुक्त राजेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 03/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

बरामद/गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीमः

1. उ0नि0 श्री हाकिम सिंह
2. हे0का0 देव प्रकाश
3. पीआरवी 2655

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना अमृतपुर

दि0-02.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त कल्लू उर्फ अशोक पुत्र रामकरन निवासी कोहरिया पिथनापुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 127/2009 वाद संख्या 8106/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-08 द्वारा दिनांक 02.01.2026 को अभियुक्त को 02 माह का साधारण कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

पी0ओ0- श्री चन्द्रेश कुमार

को0मो0 म0का0 आरती शर्मा

पैरोकार का0 नीरज

मिशन शक्ति 5.0

कोतवाली फर्रुखाबाद

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना कम्पिल

Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

1090
Women Power Line

थाना कमालगंज

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 108 181 102 1076 1098 112

#Fatehgarhpolice

उत्तर प्रदेश पुलिस

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला थाना

1090
Women Power Line

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

कोतवाली मोहम्मदाबाद

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 108 181 102 1076 1098 112

1090
Women Power Line

मिशन शक्ति 5.0

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

थाना शमसाबाद

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना अमृतपुर

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना कादरीगेट

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 108 181 102 1076 1098 112

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना मऊदरवाजा

मिशन शक्ति 5.0

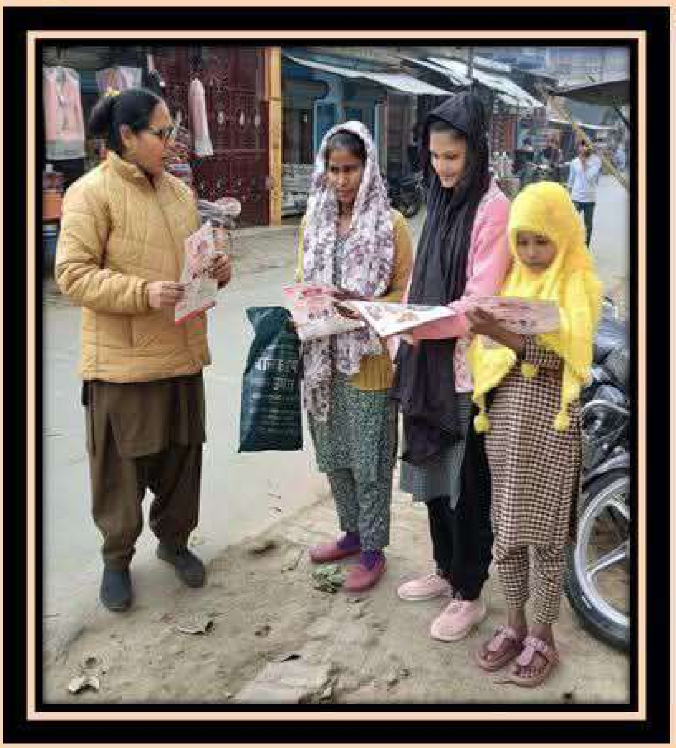

थाना नवाबगंज

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना जहानगंज

1090
Women Power Line

1090
108
181
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
102
1076
1098
112